भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *64
दिनांक 05 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष

***64. श्री कुंवर दानिश अली :**

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में दुष्कर्म के मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) निर्भया कोष में से अब तक आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने दुष्कर्म पीड़िताओं को राहत प्रदान करने और उनके पुनर्वास हेतु कोई ठोस तंत्र विकसित किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

'निर्भया फंड' के संबंध में श्री कुंवर दानिश अली द्वारा दिनांक 05.02.2021 के लिए लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 64 के उत्तर के उल्लिखित विवरण

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बलात्कार के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वेबसाइट https://ncrb.gov.in पर ''भारत में अपराध'' प्रकाशन में उपलब्ध है। ये प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2019 तक उपलब्ध हैं ।

(ख) निर्भया फंड के अंतर्गत, आज की तारीख तक 9288.45 करोड रूपये का मूल्यांकन किया गया है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा 5712.85 करोड़ रूपये की राशि का आवंटन किया गया है और 3544.06 करोड रूपये की राशि संवितरित/जारी की गई है।

(ग) और (घ) : 'पुलिस और 'सार्वजनिक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के विषय हैं। राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और महिलाओं सहित सभी नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना संबंधित राज्य सरकारों का उत्तर दायित्व होता है । राज्य सरकारें कानून के मौजूदा प्रावधान के तहत इन अपराधों से निपटने में सक्षम होती हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ए के प्रावधानों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पीड़ित मुआवजा स्कीम को अवश्य अधिसूचित करना चाहिए । किंतु केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि (सीवीसीएफ) स्कीम 2015 के अंतर्गत, गृह मंत्रालय ने उनकी वर्तमान पीड़ित मुआवजा स्कीमों की सहायता और अनुपूरण के लिए 2016-17 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्भया फंड में से एक मुश्त अनुदान के रूप में 200.00 करोड रूपये की वित्तीय सहायता जारी की है। ''महिला पीडिताओं/यौन हमले की पीड़िताओं/अन्य अपराधों के लिए मुआवजा स्कीम - 2018'' के संबंध में अपराध के द्वारा होने वाली हानि या नुकसान उठाने वाली और पुनर्वास की आवश्यकता वाली महिला पीड़िताओं या उस पर निर्भर व्यक्तियों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों या जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित की गई राशि का भुगतान किया जाएगा । मुआवजे के लिए आवेदन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दायर किए जाते हैं ।

हिंसा द्वारा प्रभावित महिलाओं (यौन हमलों की पीड़िताओं सहित) के लिए बनाई गई प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं में वन स्टाप सेंटर (ओएससी), उज्ज्वला और स्वाधार गृह, आपातकाल प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) जोकि पुलिस ऐम्बूलेंस, फायर जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए अखिल भारत एकल संख्या (सिंगल नंबर 112)/ मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है, अन्वेषण अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों तथा चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यौन हमला साक्ष्य संग्रहण (एसएईसी) किटों का वितरण; सीएफएसएल, चंडीगढ में अत्याधुनिक डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना; फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण हेतु 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता, पुलिस थानों में महिला हैल्पडेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना सुदृढीकरण आदि शामिल है। सरकार बलात्कार के मामलों और पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों कों तेजी से निपटाने के लिए 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता भी प्रदान करती है। गृह मंत्रालय ने आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले के मामलों में समयबद्ध अन्वेषण की निगरानी करने और पता लगाने के लिए उन्हे सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 19.02.2019 को एक आनलाइन ऐनेलिटिकल टूल ''यौन अपराधों के लिए अन्वेषण ट्रैकिंग प्रणाली' की शुरूआत भी की है ।

*****